

नशीली दवाओं का खतरा

प्रलिस के लिये:

ड्रग मेन्स, नशा मुक्त भारत अभियान/ड्रग मुक्त भारत अभियान, वर्ल्ड ड्रग रपिर्ट 2022

मेन्स के लिये:

ड्रग एब्यूज़ की समस्या और संबंधित पहल, वर्ल्ड ड्रग रपिर्ट 2022

चर्चा में क्यों?

केरल नशीली दवाओं के खतरे से नपिटने के लिये खेलों का उपयोग कर रहा है, जिसके लिये इसके आबकारी वभिग (Excise Department) **केरल में कॉलेज परसिर्ओं और छात्रावासों के पास क्लब बनाए हैं।**

- छात्रों को खेलों में भाग लेने के लिये प्रेरति करने के अलावा जागरूकता हेतु कक्षाएँ आयोजति की जाती हैं और मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी साझा की जाती है।

भारत में नशीली दवाओं के खतरे की स्थति:

- मादक पदार्थों की लत भारत के युवाओं में तेज़ी से फैल रही है।
 - भारत वशिव के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में स्थति है जिसके एक तरफ स्वर्णमि त्रकिण/गोल्डन ट्रायंगल (Golden Triangle) क्षेत्र और दूसरी तरफ स्वर्णमि अर्द्धचंद्र/गोल्डन क्रसिंट (Golden Crescent) क्षेत्र स्थति है।
 - स्वर्णमि त्रकिण क्षेत्र में **थाईलैंड, म्याँमार, वयितनाम और लाओस** शामिल हैं।
 - स्वर्णमि अर्द्धचंद्र क्षेत्र में पाकसितान, अफगानसितान और ईरान शामिल हैं।
- भारत उपयोगकर्त्ताओं के मामले में **दुनिया के सबसे बड़े अफीम बाज़ारों में से एक है** और संभवतः बढी हुई आपूर्ति के प्रतिसंवेदनशील होगा।
 - इसका कारण यह है कि अफगानसितान में उत्पन्न होने वाले अफीम की तस्करी की तीव्रता पारंपरिक **बालकन मार्ग** के साथ दक्षिण और पश्चिम के अलावा पूरव की ओर हो सकती है।
- **वर्ल्ड ड्रग रपिर्ट 2022** के अनुसार, भारत में वर्ष 2020 में 5.2 टन अफीम की चौथी सबसे बड़ी मात्रा ज़ब्त की गई और तीसरी सबसे बड़ी मात्रा में मॉर्फिन (0.7 टन) भी उसी वर्ष ज़ब्त की गई।
 - भारत वर्ष 2011-2020 में वशिलेषण कयि गए 19 प्रमुख **डारकनेट** बाज़ारों में बेची जाने वाली ड्रग के शपिमेंट से भी संबंधित है।

नशीली दवाओं के खतरे से नपिटने हेतु पहल:

- भारत:
 - **नारको-समन्वय केंद्र:** नवंबर 2016 में **नारको-समन्वय केंद्र** (Narco-Coordination Centre- NCORD) का गठन कयिा गया और राज्य में 'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो' की मदद के लिये 'वत्तितीय सहायता योजना' को पुनर्जीवति कयिा गया।
 - **ज़बती सूचना प्रबंधन प्रणाली:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर वकिसति करने हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, अर्थात् **ज़बती सूचना प्रबंधन प्रणाली (Seizure Information Management System- SIMS)** ड्रग अपराधों और अपराधियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करेगी।
 - **राष्ट्रीय ड्रग दुरुपयोग सर्वेक्षण:** सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर (National Drug Dependence Treatment Centre) की मदद से सामाजिक न्याय और अधिकारति मंत्रालय के माध्यम से भारत में मादक पदार्थों के दुरुपयोग के आकलन हेतु एक राष्ट्रीय ड्रग सर्वेक्षण (National Drug Abuse Survey) भी कर रही है।
 - **'प्रोजेक्ट सनराइज़:** स्वास्थ्य और परवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में उत्तर-पूरवी राज्यों में बढते **HIV के प्रसार** से नपिटने हेतु वशिष रूप से ड्रग्स इंजेक्शन का प्रयोग करने वाले लोगों में इसके प्रयोग को रोकने हेतु 'प्रोजेक्ट सनराइज़' (Project Sunrise) को

शुरू किया गया था।

- **द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, (NDPS) 1985** : यह कसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइकोट्रॉपिक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, करण, परिवहन, भंडारण और / या उपभोग को प्रतिबंधित करता है।
 - NDPS अधिनियम में वर्ष 1985 से तीन बार (1988, 2001 और 2014 में) संशोधन किया गया है।
 - यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है तथा भारत के बाहर सभी भारतीय नागरिकों और भारत में पंजीकृत जहाजों एवं वमिनो पर भी समान रूप से लागू होता है।
- सरकार द्वारा '**नशा मुक्त भारत अभियान**' (Nasha Mukht Bharat Abhiyan) को शुरू करने की घोषणा की गई है जो सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों पर केंद्रित है।
- **नशीली दवाओं के खतरे का मुकाबला करने के लिये अंतरराष्ट्रीय संधियों और अभिसमय:**
 - भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिये निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरकर्ता है:
 - [नारकोटिक ड्रग्स पर संयुक्त राष्ट्र \(UN\) कन्वेंशन \(1961\)](#)
 - मनोदैहिक पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1971)
 - [नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन \(1988\)](#)
 - अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UN Convention against Transnational Organized Crime- UNTOC) 2000

आगे की राह

- **सीमा पार तस्करी पर अंकुश लगाकर NDPS अधिनियम के तहत कठोर दंड या नशीली दवाओं के प्रवर्तन में सुधार कर** आपूर्तिको रोकने के लिये कदम उठाए जाने चाहिये तथा भारत को मांग पक्ष को ध्यान में रखकर समस्या का समाधान करना चाहिये।
- **व्यसन को चरित्र दोष के रूप में नहीं बल्कि एक बीमारी के रूप में देखा जाना चाहिये। साथ ही नशीली दवाओं के सेवन से जुड़े कलंक (Stigma) को समाप्त करने की ज़रूरत है।** समाज को यह समझने की भी ज़रूरत है कि नशा करने वाले अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित होते हैं।
- **कुछ दवाएँ जिनमें 50% से अधिक अल्कोहल और ओपिओइड होता है, को शामिल करने की आवश्यकता है। देश में नशीली दवाओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिये पुलिस अधिकारियों व आबकारी एवं नारकोटिक्स विभाग (Excise and Narcotics Department) की ओर से सख्त कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।**
- **शिक्षा पाठ्यक्रम में मादक पदार्थों की लत, इसके प्रभाव और नशामुक्ति पर भी अध्याय शामिल होने चाहिये।** उचित परामर्श एक अन्य विकल्प हो सकता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. संसार के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक राज्यों से भारत की नकिटता ने उसकी आंतरिक सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। नशीली दवाओं के अवैध व्यापार एवं बंदूक बेचने, गुपचुप धन वदिश भेजने और मानव तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों के बीच कड़ियों को स्पष्ट कीजिये। इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या-क्या उपाय किये जाने चाहिये? (2018)

स्रोत: द हट्टि